न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—24 / 2018 (2018 / 00057) वाद पत्र

उनवान

1—सीमा पुत्री लेहरू जाट पत्नि जगदीशचन्द्र जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—लेहरू आत्मज नाथु जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—उप पंजीयक कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह चुण्डावत— वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—05.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तेनी एवं मौरूषी कृषि आराजियात संख्या 843 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 856 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3271 / 597 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3274 / 636 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 3277 / 753 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3282 / 842 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि स्थित होकर वर्तमान में वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या लेहरू आत्मज नाथु जाट के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात के सेटलमेन्ट पूर्व साबिक नम्बर 613, 623, 424, 543, 612 थे जो वादीया के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथु आत्मज गुल्ला जाट निवासी आशाहोली के नाम दर्ज रेकार्ड थे। उक्त वर्णित कृषि आराजियात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तेनी एवं मौरूषी होकर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत उसके पिता नाथु आत्मज गुल्ला जाट से प्राप्त हुई है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है किन्तु उक्त वर्णित भूमियां पुश्तेनी होने से वादीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री होकर उसकी प्रथम श्रेणी की वारीस है जिससे वादीया अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारीणी है। उक्त वादवर्णित भूमि में वादीया जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री होकर हिन्दु संयुक्त परिवार के दोनो ही सदस्य है जिससे उक्त भूमियो में वादीया का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1 / 2 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया उक्त वर्णित भूमियों में अपने 1 / 2 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्व में 5—6 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा लड़ाई झगड़ा [illegible] रिश्तेदारो द्वारा समझा दिया गया तो प्रतिवादी ने कहा कि मे जमीन नही बेचुगां उसके करीब [illegible] वर्ष हो चुके है। वादीया की उक्त पुश्तेनी भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 के अपने नाम [illegible] होने से नाजायज लाभ उठाकर और वादीया को अपने हक हिस्से की भूमियो [illegible] से वादीया [illegible] माता प्रेमदेवी से लडाई झगड़ा करने व कोई जमीन नही रखुंगा [illegible] समस्त जमीन विक्रय [illegible] दुगां तब वादीया ने कहा कि इसमें मेरा आधा हिस्सा है। भूमियों को विक्रय करने पर आमादा है व वादीया को भूमियो को बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:08 IST
Reason: SelfAttested

जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत आराजियात संख्या 843, 856, 3271/597, 3274/636, 3277/753, 3282/842 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि के 1/2 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावें। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 फौरमल पक्षकार जिनसे कोई कार्यवाही नही चाही गई है।

वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि वाद के साथ संलग्न आवश्यक रेकार्ड को अवलोकन फरमाते हुए वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि वादीया के दादा नाथु पिता गुल्ला जाट के समय की होने से वादीया की पैतृक भूमि है। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री है। वादीया अपने पिता की सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् हक लेना चाहती है। पैतृक भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का निहित है किन्तु राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के ही नाम दर्ज होने से भूमि के खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है जिससे वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली की आराजी संख्या 843 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 856 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3271/597 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3274/636 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 3277/753 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3282/842 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीया के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना [illegible] लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:08 IST
Reason: SelfAttested

5/5/2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–24/2018 (2018/00057) वाद पत्र

उनवान

1–सीमा पुत्री लेहरू जाट पत्नि जगदीशचन्द्र जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1–लेहरू आत्मज नाथु जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–उप पंजीयक कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली की आराजी संख्या 843 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 856 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3271/597 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3274/636 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 3277/753 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3282/842 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीया के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

05/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:08 IST
Reason: SelfAttested